



राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

Racing Fire: The Parker Solar Probe's Daring Mission to Touch the Sun

An Engagement With The World

At the time, there was a craze in England for turning doors and window frames from Indian havelis into glass tables. Whole temples were being dismantled and transported illegally to America

‘किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं’

मु.मंत्री भजनलाल ने बीकानेर में आयोजित किसान सम्मेलन को किसानों के सम्मान को समर्पित बताया

- मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर जोर दिया और इसके लिए तीस हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

- किसान सम्मेलन एवं एफ.पी.ओ. कार्यक्रम में तीस हजार किसानों को 137 करोड़ रूपए का अनुदान हस्तांतरित किया गया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रूपए का अनुदान, हस्तांतरण किया।

बीकानेर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान देश एवं प्रदेश की आत्मा है, अगर किसान विकसित होगा तो देश-प्रदेश विकसित एवं खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सपना सिर्फ कृषि विकास ही नहीं कृषि गौरव है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का किसान देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में आदर्श बने। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ें, जिससे वे लाभ की खेती कर खुद को सशक्त बना सकें।

शर्मा बुधवार को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा, किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं। आज बीकानेर में हुए किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रूपए का अनुदान, हस्तांतरण किया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती किये जाने पर 30 हजार रु. की प्रोत्साहन राशि के दिशा-निर्देश जारी किए गए। पीएमएफएमई योजना के

लाख किसानों को 29 हजार करोड़ रूपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रूपए से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती का हर काम किया है तथा वे किसानों की समस्या को भलीभांति समझते हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती का हर काम किया है तथा वे किसानों की समस्या को भलीभांति समझते हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘गहलोत सिर्फ टिवटर पर ही एक्टिव रहते हैं’

बीकानेर, 26 मार्च (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिवटर पर सक्रियता व पूर्व वादों को लेकर गहलोत पर जमकर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री टिवटर पर सक्रिय रहते हैं लेकिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आये। वे टिवटर पर चलते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री बीकानेर की एपीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- सिर्फ सोशल मीडिया

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसान सम्मेलन में कहा, गहलोत एक बर्ष भी विधानसभा में नहीं आए।

पर सक्रिय रहने से जनता के दुख-दर्द कम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत ट्वीट करने से पहले अपने पांच साल की सरकार के कामों को देख लें।

इस पर गहलोत ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि आज मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता को शिकायत बताने वाले और सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे ट्वीट पर टिप्पणी की है।

मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग दई साल पुराना आपका ट्वीट याद दिलाता चाहता हूँ, जिसमें आपने कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग की थी और विरोध जताया था।

अमेरिका से आयातित सामान पर भारत, टैरिफ आधा करने को तैयार

इस टैरिफ में कमी से 23 अरब डॉलर का नुकसान होगा भारत को, पर, भारत से अमेरिका को निर्यात, जिसकी कीमत 66 अरब डॉलर आंकी जाती है, सुरक्षित रहने की आशा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 मार्च। अमेरिका के रिसिप्रोकल टैरिफ (जो जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उस पर उताना ही टैरिफ लगाएगा) जो 2 अप्रैल 2025

- सबसे पहले भारत, इलैक्ट्रिक वाहनों की बैट्री के निर्माण में आवश्यक सामान पर टैरिफ बहुत कम करना चाहता है, जिससे स्थानीय उद्योगपतियों व निर्माताओं का माल विदेशों में मार्केट किया जा सके।
- सरकार द्वारा किये गये आंकलन के अनुसार, भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट का 87 प्रतिशत हिस्सा, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ से प्रभावित होगा। अतः भारत सरकार अमेरिका से आयातित माल पर टैरिफ में 5 से 30 प्रतिशत की कमी कर सकती है।

से लागू होने जा रहा है, के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार आधे से ज्यादा अमेरिकन आयात पर टैरिफ घटाने का विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका को हो रहे भारत के ऑटो मोबाइल्स को इस समय काफी खतरा है, हालांकि कुछ कृषि उत्पादों की कैटेग्री से राहत दी जा सकती है। यह कदम अगले सप्ताह से लागू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुँची पुलिस

स्टोर रूम व आसपास की जगह सील कर दी गई है

नई दिल्ली, 26 मार्च। दिल्ली पुलिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुँचकर उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह सील कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचे। आग लगने वाली जगह को जांच कमेटी के कहने पर सील किया है। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम और आसपास की जगह का दौरा किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

- सुप्रीम कोर्ट की जाँच कमेटी के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने यह कार्यवाही की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया।

से संबंधित है। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकीलों ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा, सार्वजनिक बयान न दें। मामले में एक महिला और सह-याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर ऐसा मामला किसी आम नागरिक के खिलाफ

राजस्थान हाईकोर्ट में चार नए जज नियुक्त

जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट को चार नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम की ओर से गत दिनों आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और सदीप शाह के नामों की भेजी सिफारिश को केन्द्र सरकार ने मान लिया है। वहीं, राष्ट्रपति भवन से इनके नियुक्ति वारंट भी जारी

- सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम ने चार जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसे केन्द्र सरकार ने मान लिया है।

सदा से वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर देशों की इस मुद्दे पर हालत काफी चिंताजनक है

ये तथाकथित अमीर देश, अपने ऋणों पर जो ब्याज दे रहे हैं, वो उनके रक्षा बजट से भी ज्यादा है

- यह भी एक कारण है कि वे रूस के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि, जैसा कि ट्रंप की शिकायत है, इन देशों की आदत पड़ गई है कि उनकी सुरक्षा का आर्थिक भार तो अमेरिका वहन कर ही लेगा। अतः, उनकी सेना की स्थिति काफी कमजोर है, रूस की तुलना में।
- ये सभी तथ्य, ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में लिखे हैं।
- उन्नत देशों का अन्तरराष्ट्रीय ऋण 17 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, 2025 में, जबकि 2023 में यह ऋण 14 ट्रिलियन डॉलर ही था। दूसरी ओर विकासशील देशों का ऋण 2024 में कुल तीन ट्रिलियन डॉलर ही था।
- पर, यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के ऋण कभी अदा नहीं होते तथा पुराने ऋण की सर्विस के लिये नये ऋण ले लिये जाते हैं, कुछ और बढ़ी हुई ब्याज दर पर।
- और, इस प्रकार ऋण पर ब्याज का भार बढ़ता ही रहता है। परन्तु, भारत के ऋण की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, अब तक।

बजट से अधिक खर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह उस बात को रेखांकित करता है, जो अमेरिकियों ने बहुत कठोर शब्दों में उनसे कही थी कि ये देश खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त खर्च नहीं कर पा रहे हैं और अमेरिका पर जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि वो दुश्मन के आक्रमणों

पेपर लीक केस, तृतीय श्रेणी अध्यापक राजेन्द्र यादव सस्पेंड

जयपुर, 26 मार्च। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक करने के मामले में तृतीय श्रेणी अध्यापक को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोपी जज शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक खालीपुरा में तैनात था, तब उसने पेपर आउट किया था। आरोपी जगदीश

विरनाई गैंग का सक्रिय सदस्य है। एसओजी ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की थी और अभी वह न्यायिक अभिरक्षा में है। राजेन्द्र कुमार यादव मेजर दिग्विजय सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खालीपुरा, जयपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। पंकज चौधरी उर्फ यूनिवर्सिटी बाम्बू व जगदीश विरनाई के साथ संगठित गिरोह में शामिल होकर राजेन्द्र यादव प्रतियोगी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायालय कुछ भी कहते रहें, “बुलडोजर न्याय” का चलन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा

राजनीतिक नेतृत्व को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं लगती कि सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर जस्टिस के बारे में क्या गाइडलाइन्स हैं

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने चार महीने पहले “न्याय से परे के ध्वस्तीकरण (एक्स्ट्रा-जुडिशियल डिमांड्स) को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, तथा म्यूनिसिपल अधिकारियों के लिये गाइडलाइन जारी कर दी थीं, जिन्हें भवन गिराने की कार्यवाही करने से पहले ध्यान में रखना अनिवार्य था, इसके बावजूद, “बुलडोजर जस्टिस” यथावत एवं अक्षुण्ण रूप से जारी है। पिछले सोमवार को, नागपुर म्यूनिसिपल अधिकारियों ने फहीम खान नामक व्यक्ति के घर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया। यह व्यक्ति 17 मार्च को शहर में हुये दंगों का आरोपी है। इस घटना के कुछ घंटे बाद, बम्बई उच्च न्यायालय ने मकान गिराये जाने पर स्टे दे दिया तथा उस क्षेत्र के अन्य मकानों को ध्वस्त करने प्रक्रिया रोकने के आदेश जारी कर दिये। इससे

- उत्तर प्रदेश के मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ ने “बुलडोजर जस्टिस” के पक्ष में कहा, “कुछ लोगों के लिए जरूरी होता है, उनको उसी भाषा में बताया जाए, जो वे समझते हैं।”

पहले 23 फरवरी को, महाराष्ट्र के सिंधदुर्ग जिले में एक मकान ढहा दिया गया था। इस घटना को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान “भारत-विरोधी नारे” लगाये जाने के दण्ड के रूप में देखा गया था। किताबुल्ला-हमीदुल्ला ने सर्वोच्च न्यायालय पहुँच कर, अदालत के 13 नवम्बर के आदेश की मानहानि का आरोप लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में सोमवार को नोटिस जारी करके, सम्बंधित अधिकारियों से जवाब माँगा है। “हयूमन राइट्स ग्रुप एनिस्टी इंटरनेशनल” के अनुसार, आप-शासित पंजाब के अलावा, चार भाजपा-शासित राज्यों में, सर्वोच्च न्यायालय

के 13 नवम्बर के आदेश के बाद, 128 भवन ध्वस्त किये जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश में अपराधों के आरोपियों के घरों को मनमर्जी से गिरा देना निषिद्ध करार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है: ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पहले, सम्बंधित व्यक्ति को मकान गिराये जाने की तारीख से 15 दिन पहले “कारण बताओ” नोटिस दिया जायेगा, तथा इसके बाद प्रभावित पक्ष को अपील के लिये 15 दिन का समय और दिया जायेगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि अगर ध्वस्तीकरण होना ही हो, तो उसकी वीडियो-रिकॉर्डिंग म्यूनिसिपल

कमिश्नर के समक्ष पेश की जायेगी तथा उसे सार्वजनिक किया जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वे गाइडलाइन सड़क, फुटपाथ या जल-भंडारण तंत्रों, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बने अनधिकृत मकानों के मामले में लागू नहीं होंगे। अदालत द्वारा आदेशित ध्वस्तीकरण के मामलों में भी ये गाइडलाइन लागू नहीं होंगी। लेकिन जैसा इस मामले में हुआ है, राज्य सरकारें बुलडोजर कार्यवाही करने में इन्हीं छूटों का सहारा ले रही हैं। ध्वस्तीकरण निषेध की सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन्स को लेकर राजनेताओं का चिन्तित होना अनावश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। “बुलडोजर कार्यवाही” के बचाव में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि “कुछ लोगों से निबटने के लिये उसी तरीके की जरूरत होती है, जिसे वे समझते हैं।.... (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा को जान से मारने की धमकी

जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को बुधवार देर शाम को जयपुर सेंट्रल जेल से जान से मारने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी में सामने आया है कि एक बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बैरवा

- पता चला है कि जयपुर सेंट्रल जेल से किसी बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर धमकी दी।

को मारने की धमकी दी है। इसके बाद, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम तैनात ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की सूचना पुलिस के आलाधिकारी को दी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम ईचार्ज ने जिस नंबर से फोन आया, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रैस की गई। मोबाइल की लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल आई। पूर्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)